देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर 452001
दूरभाष : 2523530

क्रमांकःप्रशासन / विविध / 2026 / 344 दिनांक 13.03.2026

आदेश

विश्वविद्यालय के नालंदा, तक्षशिला एवं आई.ई.टी. परिसर के समस्त परिसर प्रभारियों / सहायक प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के पत्र क्रमांक 355 / 430 / 430 / आउशि / निर्माण / 25 दिनांक 10.03.2026 भोपाल दिनांक 12 / 01 / 2026 के संलग्न पत्र अनुसार अनुसार उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय विश्वविद्यालयों के परिसरों में आवारा पशुओं / कुत्तों की रोकथाम, सुरक्षा उपाय, निगरानी एवं उत्तरदायित्व के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO W P (CIVIL) NO(S) 5 OF 2025 IN RE&CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 07.11.2025 एवं मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 809 दिनांक 09.02.2026 के परिपालन में विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में आवारा पशुओं / कुत्तों की रोकथाम, सुरक्षा उपाय, निगरानी एवं उत्तरदायित्व के संबंध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

शासन के पत्र में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उपरोक्तानुसार तीनों परिसरों में परिसर प्रभारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। आप निर्धारित समयावधि में शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

क्रमांकःप्रशासन / विविध / 2026 / 344 दिनांक 13.03.2026

प्रतिलिपिः–

1. डॉ. सखाराम मुजाल्दे, परिसर प्रभारी, तक्षशिला परिसर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. डॉ. सी.पी. पाटीदार, परिसर प्रभारी, आई.ई.टी. परिसर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. श्री कमलसेन अहिवार, सहायक परिसर प्रभारी, नालंदा परिसर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक, समस्त अध्ययनशालाऐं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ।
5. माननीय कुलगुरूजी के सचिव एवं कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ।
6. प्रभारी आई.टी. सेंटर की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

उप कुलसचिव(प्रशासन)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 355 /430/आउशि/निर्माण/25, भोपाल, दिनांक 10/03/2026

प्रति,

संबंधित कुल सचिव, (संलग्न सूची अनुसार)
शासकीय विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश

627
11/03/2026

विषय:-शासकीय विश्वविद्यालयों के परिसरों में आवारा पशुओं/कुत्तों की रोकथाम, सुरक्षा उपाय, निगरानी एवं उत्तरदयित्व के संबंध में।

संदर्भ: 1. SUO MOTO W P (CIVIL) NO(S) 5 OF 2025 IN RE-CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 07.11.2025

2. मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 809 दिनांक 09.02.2026

--XX--

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO W P (CIVIL) NO(S) 5 OF 2025 IN RE-CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 07.11.2025 के परिपालन में समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों के परिसरों में आवारा पशुओं/कुत्तों की रोकथाम, सुरक्षा उपाय, निगरानी एवं उत्तरदयित्व के संबंध निम्नलिखित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है :

1. सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में नियुक्त नोडल अधिकारी का नाम, पद नाम, मोबाईल न. प्रदर्शित किया जाएगा एवं डाटा बेस संधारित किया जाएगा।
2. सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में बाउंड्रीवॉल आवश्यक रूप से निर्मित हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
3. परिसर में यथोचित संख्या में सुरक्षा कर्मचारियों की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाए।
4. यदि परिसर में कोई आवारा पशु बना रहता है तो ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम से सम्पर्क कर उचित कार्यवाही की जाए।

MOST URGENT AR Admn Copy

निरंतर.....2

आवक क्र. 455
दिनांक 12 MAR 2026

Mr. Manu 12/3/26

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम निर्णय का पालन सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालयों की जानकारी आयोग स्तर से गुगल फार्म में अनिवार्य रूप से भी जाए। गुगल फार्म हेतु गुगल लिंक **https://forms.gle/XKuAWibxqxMQugUw7** है।

6. नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए (प्रति संलग्न है)

7. समस्त कार्यवाही दिनांक 16.03.2026 के पूर्व सम्पादित की जाना सुनिश्चित करें।

(प्रबल सिपाहा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश

क्रमांक 356 /430/आउशि/निर्माण/2025, भोपाल,दिनांक 10/03/2026
प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल

आयुक्त
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश